Total Pages : 48

**CODE NO.**
**Not to be filled by the Candidate**
**(अभ्यर्थी द्वारा नहीं भरा जाये)**

Time : 3 Hours | Maximum Marks : 100

**महत्वपूर्ण निर्देश / IMPORTANT INSTRUCTIONS**

1. अपेक्षित विवरण केवल "प्रश्न पत्र–सह–उत्तर पुस्तिका" के ऊपर दिये गये फ्लैप पर ही लिखें, अन्य किसी स्थान पर नहीं।
2. "प्रश्न पत्र–सह–उत्तर पुस्तिका" (रफ कार्य के पृष्ठ सहित) के अन्दर कहीं पर भी कोई पहचान चिन्ह यथा, रोल नम्बर, नाम, पता, मोबाईल नम्बर/टेलीफोन नम्बर, देवताओ के नाम अथवा कोई भी प्रश्न के उत्तर से असंबंधित शब्द, वाक्य एवं अंक आदि लिखे जाने या अंकित किये जाने को अनुचित साधनों का उपयोग माना जायेगा। ऐसा पाये जाने पर अभ्यर्थी की सम्पूर्ण परीक्षा में अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी।
3. यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा केन्द्र पर व्यवधान उत्पन्न करता है या वीक्षण स्टाफ के साथ दुर्व्यवहार करता है अथवा वंचनापूर्ण कार्य करता है तो वह स्वयं ही अयोग्यता के लिए उत्तरदायी होगा। वह "राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 1992" के तहत दाण्डिक कार्यवाही हेतु भी उत्तरदायी माना जायेगा।
4. प्रश्न पत्र 'अ' 'ब' 'स' और 'द' चार भागों में विभाजित है। प्रत्येक भाग में किये जाने वाले प्रश्नों की संख्या और उनके अंक उस भाग में अंकित किये गये हैं।
5. चारो भागों यथा, 'अ' 'ब' 'स' और 'द' में दिये गये प्रश्नों के उत्तर निरपवाद रूप से "प्रश्न पत्र–सह–उत्तर पुस्तिका" में प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिये गये स्थान पर ही लिखे, कहीं और नहीं, अन्यथा ऐसे उत्तर का मूल्यांकन परीक्षक द्वारा नहीं किया जायेगा।
6. अभ्यर्थी को अपने उत्तर निर्धारित जगह से अधिक नहीं लिखने चाहिये। किसी भी परिस्थिति में पूरक उत्तर पुस्तिका नहीं दी जायेगी।
7. उत्तर हिन्दी अथवा अंग्रेजी किसी एक भाषा में दीजिये, दोनो में नहीं। फ्लैप पर 'उत्तर के माध्यम' के चौखाने में एक विकल्प को ☑ से चिन्हित करें।
8. किसी प्रश्न में अंग्रेजी व हिन्दी भाषान्तर में कोई अन्तर हो तो अंग्रेजी भाषान्तर को प्रमाणिक माना जाये।
9. यदि "प्रश्न पत्र–सह–उत्तर पुस्तिका" कहीं से कटी–फटी या अमुद्रित हैं, तो शीघ्रताशीघ्र अभिजागर से कह कर उसे बद अभिजागर के ध्यान में ला दें, अन्यथा उसका दायित्व अभ्यर्थी का होगा।
10. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संयंत्र के साथ प्रवेश करना सर्वथा वर्जित है।

SE

* * * * *

1. Write the required particulars only on the flap provided on the top of "Question Paper-cum-Answer Book"; and not at any other place.
2. Do not write any mark of identity inside the "Question Paper-cum-Answer Book" (including paper for rough work) i.e. Roll Number, Name, Address, Mobile Number/ Telephone Number, Name of God etc. or any irrelevant word, sentence or figure other than the answer of question. Such act will be treated as unfair means. In such a case his candidature shall be rejected for the entire examination.
3. A candidate found creating disturbance at the examination centre or misbehaving with Invigilating Staff or cheating will render him liable for disqualification. He shall also be liable for penal action under "The Rajasthan Public Examination (Prevention of Unfair Means) Act, 1992".
4. The question paper is divided into four parts 'A', 'B', 'C' and 'D'. The number of questions to be attempted and their marks are indicated in that part.
5. The answer of the questions in all four parts i.e. 'A', 'B', 'C' and 'D' should strictly be written in the space provided below question and not elsewhere, otherwise, such answer shall not be assessed by the examiner.
6. The candidate should not write the answers beyond the space prescribed. No Supplementary Answer Book shall be provided in any case.
7. Attempt answers either in Hindi or in English, not in both. Specify an option by ticking ☑ in box of "Medium of Answer" on the flap.
8. In any question, if there is any discrepancy in English & Hindi versions, the English version is to be treated as standard.
9. In case the "Question Paper-cum-Answer Book" is torn or not printed properly, bring it to the notice of Invigilator for change or direction at earliest, otherwise the candidate will be liable for that.
10. Possession of any electronic device is strictly prohibited in the Examination Hall.

**NOTE : Attempt all the questions. Questions No.1 to 8 carry 3 marks each, questions No.9 to 12 carry 5 marks each, questions No.13 to 17 carry 6 marks each, questions No.18 and 19 carry 8 marks each and question No.20 carries 10 marks.**

नोट :– समस्त प्रश्नों के उत्तर दीजिये। प्रश्न संख्या 1 से 8 तक प्रत्येक हेतु 3 अंक, प्रश्न संख्या 9 से 12, प्रत्येक हेतु 5 अंक, प्रश्न संख्या 13 से 17, प्रत्येक हेतु 6 अंक, प्रश्न संख्या 18 एवं 19, प्रत्येक हेतु 8 अंक एवं प्रश्न संख्या 20 हेतु 10 अंक निर्धारित हैं।

## PART-A/ भाग– अ    Marks/अंक– 24

**Attempt all the 8 questions. Questions No.1 to 8 carry 3 marks each.**

समस्त 8 प्रश्नों के उत्तर दीजिये। प्रश्न संख्या 1 से 8, प्रत्येक हेतु 3 अंक निर्धारित हैं।

**Question No.1** **(3 Marks)**

What do "heinous offences" mean under the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015?

**प्रश्न संख्या 1**

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अधीन ''जघन्य अपराध'' से क्या तात्पर्य है?

**Question No.2** **(3 Marks)**

Where a person aggrieved by any decision of Cyber Appellate Tribunal may file an appeal and what is the limitation for that is prescribed under the Information Technology Act, 2000?

**प्रश्न संख्या 2**

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अधीन साइबर अपील अधिकरण के किसी विनिश्चय से व्यथित एक व्यक्ति कहाँ अपील कर सकता है और इस हेतु क्या परिसीमा दी गई है?

**Question No.3** **(3 Marks)**

How the amount ordered to be paid under sub-section (1) of Section 5 of the Probation of Offenders Act, 1958 may be recovered?

**प्रश्न संख्या 3**

अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 की धारा 5 की उपधारा (1) के अन्तर्गत भुगतान करने के लिए आदेशित राशि किस प्रकार वसूल की जा सकेगी?

**Question No.4** **(3 Marks)**

What does "monetary relief" mean under the Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005?

**प्रश्न संख्या 4**

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत "धनीय अनुतोष" से क्या अभिप्राय है?

**Question No.5** **(3 Marks)**

According to General Rules (Criminal), 1980, to whom the Sessions Court, for the purpose of giving information, on its issuance, shall forward a copy of warrant for execution of death sentence?

**प्रश्न संख्या 5**

सामान्य नियम (दाण्डिक), 1980, के अनुसार, सैशन्स न्यायालय, मृत्यु दण्डादेश के निष्पादन का वारन्ट जारी किये जाने पर, उसकी प्रति किसे सूचनार्थ अग्रेषित करेगा?

**Question No.6** **(3 Marks)**

*A*, being an officer directed by law to take property in execution, in order to satisfy a decree pronounced in *Z*'s favour by a Court of Justice, knowingly disobeys that direction of law, with the knowledge that he is likely thereby to cause injury to *Z*. What offence *A* has committed under Indian Penal Code, 1860?

**प्रश्न संख्या 6**

क, जो एक ऑफिसर है, और न्यायालय द्वारा य के पक्ष में दी गई डिक्री की तुष्टि के लिए निष्पादन में संपत्ति लेने के लिए विधि द्वारा निदेशित है, यह ज्ञान रखते हुए कि यह सम्भाव्य है कि तदद्वारा वह य को क्षति कारित करेगा, जानते हुए विधि के उस निदेश की अवज्ञा करता है। क द्वारा भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अधीन क्या अपराध कारित किया गया है?

**Question No.7** **(3 Marks)**

Who can be specified by the State Government as an exclusive Special Public Prosecutor for exclusive Special Court under the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989?

**प्रश्न संख्या 7**

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत किसी अनन्य विशेष न्यायालय हेतु राज्य सरकार द्वारा किसे अनन्य विशेष लोक अभियोजक विनिर्दिष्ट किया जा सकता है?

**Question No.8** **(3 Marks)**

When a Magistrate may conduct proceedings in camera under the Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005?

**प्रश्न संख्या 8**

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत एक मजिस्ट्रेट कब कार्यवाहियाँ बन्द कमरे में संचालित कर सकता है?

**PART-B/ भाग– ब** **Marks/अंक– 26**

**Attempt all the 5 questions. Questions No.9 to 12 carry 5 marks each and question no. 13 carries 6 marks.**

समस्त 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिये। प्रश्न संख्या 9 से 12, प्रत्येक हेतु 5 अंक एवं प्रश्न संख्या 13 हेतु 6 अंक निर्धारित हैं।

**Question No.9** **(5 Marks)**

Discuss the provisions relating to rehabilitation and social reintegration of children under the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015.

**प्रश्न संख्या 9**

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अन्तर्गत बालकों के पुनर्वास एवं समाज में पुनः मिलाने की प्रक्रिया से संबंधित प्रावधानों की चर्चा कीजिए।

**Question No.10** **(5 Marks)**

Describe the rights of victims and witnesses under the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989?

**प्रश्न संख्या 10**

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत पीड़ितों एवं साक्षियों के अधिकारों का वर्णन कीजिए?

**Question No.11** **(5 Marks)**

Explain the offence of defamation described under Chapter XXI of the Indian Penal Code 1860.

**प्रश्न संख्या 11**

भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अध्याय XXI में वर्णित मानहानि के अपराध को समझाइये।

**Question No.12** **(5 Marks)**

What powers are available to a police officer for the purpose of investigation of an offence punishable under the Electricity Act, 2003?

**प्रश्न संख्या 12**

विद्युत अधिनियम, 2003 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के अन्वेषण के प्रयोजन हेतु एक पुलिस अधिकारी को क्या शक्तियाँ प्राप्त है?

**Question No.13** **(6 Marks)**

Write note on following :- (each note carries three marks)

**प्रश्न संख्या 13**

निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए :– (प्रत्येक टिप्पणी हेतु तीन अंक निर्धारित हैं)

(1) Offences by companies under the Information Technology Act, 2000.

(1) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत कम्पनियों द्वारा अपराध।

(2) Duties of probation officers under the Probation of Offenders Act, 1958.

(2) अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत परिवीक्षा अधिकारी के कर्त्तव्य।

## **PART-C/ भाग– स** **Marks/अंक– 24**

**Attempt all the 4 questions. Questions No.14 to 17 carry 6 marks each.**

समस्त 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिये। प्रश्न संख्या 14 से 17, प्रत्येक हेतु 6 अंक निर्धारित हैं।

**Question No.14** **(6 Marks)**

Answer both the following questions: (each question carries three marks)

**प्रश्न संख्या 14**

निम्नलिखित दोनों प्रश्नों का उत्तर दीजिए : (प्रत्येक प्रश्न हेतु तीन अंक निर्धारित हैं)

(1) When an opinion as to electronic signature is relevant?

(1) इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के बारे में राय कब सुसंगत है?

(2) "X" agrees in writing, to sell a car to "Y" for Rs.2,00,000/- or Rs.2,50,000/-. Whether on basis of this writing, evidence can be given to show which price is to be given? Support your answer by referring relevant provision of the Indian Evidence Act, 1872.

(2) "X" लेखन के जरिये एक कार "Y" को 2,00,000/– या 2,50,000/– रूपये में बेचने का करार करता है। क्या इस लेखन के आधार पर यह दर्शित करने के लिए साक्ष्य दी जा सकती है कि कौनसा मूल्य दिया जाना है? अपने उत्तर को भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के सुसंगत प्रावधानों के जरिये समर्थित कीजिए।

**Question No.15** **(6 Marks)**

Discuss the provisions relating to admissibility of electronic records in evidence as per provisions of Indian Evidence Act, 1872.

**प्रश्न संख्या 15**

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के अन्तर्गत इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की साक्ष्य में ग्राह्यता से संबंधित प्रावधानों की चर्चा कीजिए।

**Question No.16** **(6 Marks)**

Discuss the provisions relating to application for plea bargaining and guidelines for mutually satisfactory disposition under the Code of Criminal Procedure, 1973.

**प्रश्न संख्या 16**

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अन्तर्गत अभिवाक् सौदेबाजी हेतु आवेदन एवं पारस्परिक रूप से समाधानप्रद निपटारे के लिए मार्ग निर्देशों से संबंधित प्रावधानों की चर्चा कीजिए।

**Question No.17** **(6 Marks)**

Write short note on the following: (each note carries three marks)

**प्रश्न संख्या 17**

निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए: (प्रत्येक टिप्पणी हेतु तीन अंक निर्धारित हैं)

(1) Conditional order for removal of nuisance under The Code of Criminal Procedure, 1973.

(1) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अन्तर्गत न्यूसेन्स हटाने के लिए सशर्त आदेश।

(2) Sentence on offender already sentenced for another offence.

(2) ऐसे अपराधी को दण्डादेश जो अन्य अपराध के लिए पहले से दण्डादिष्ट है।

## PART-D/ भाग– द Marks/अंक– 26

**Attempt all the 3 questions. Questions No.18 and 19 carry 8 marks each and question no. 20 carries 10 marks.**

समस्त 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिये। प्रश्न संख्या 18 एवं 19, प्रत्येक हेतु 8 अंक एवं प्रश्न संख्या 20 हेतु 10 अंक निर्धारित हैं।

**Question No.18** **(8 Marks)**

Discuss the provisions relating to procedures for recording of statement of a child and medical examination of a child under the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012.

**प्रश्न संख्या 18**

यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अन्तर्गत बालक के कथन को अभिलिखित करने और बालक की चिकित्सकीय परीक्षण की प्रक्रिया से संबंधित प्रावधानों की चर्चा कीजिए।

**Question No.19** **(8 Marks)**

Write a note regarding involuntary subjection of a person to narco-analysis test, polygraph test and brain mapping test with special reference to the latest judgments of Supreme Court of India.

**प्रश्न संख्या 19**

किसी व्यक्ति की इच्छा के बिना उसका नार्को एनालिसिस टेस्ट, पॉलिग्राफ टेस्ट और ब्रेन मेपिंग टेस्ट किये जाने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के नवीनतम विनिर्णयों का विशेष सन्दर्भ देते हुए टिप्पणी लिखिए।

**Question No.20** **(10 Marks)**

Sita Devi was married to Ramesh on 16.04.2006. Two children, Arpit and Pankaj, were born out of this wedlock in the years 2008 and 2012 respectively. Ramesh used to quarrel with Sita on trifle issues. Ramesh and his mother Kailashi Devi were not satisfied with the dowry given in the marriage. Ramkishan, father-in-law of Sita, however, protected her on several occasions and asked his own wife Kailashi Devi and son Ramesh not to harass and torture Sita for bringing inadequate dowry. Even then, Ramesh and Kailashi subjected Sita to cruelty and mal-treatment. Exasperated by circumstances, Sita committed suicide on 09.09.2015. Dashrath, father of deceased Sita, lodged a first information report against her husband, mother-in-law and father-in-law.

On basis of the FIR lodged by Dashrath, father of Sita, investigation was made and Smt. Kailashi, Shri Ramkishan and Shri Ramesh were charge-sheeted. The competent court took cognizance of the offence and the case was committed to the Court of Sessions. The Sessions Court framed the necessary charges against all the accused persons. The accused denied the charges and desired trial. During the course of trial, Krishan Kumar, Om Prakash and Smt. Radha (neighbours of the accused persons), Dashrath (father of the deceased), Vasundhara (mother of the deceased) and Kiran Kumari (sister of the deceased) were examined. All these witnesses stated about torture and harassment of deceased Sita by Ramesh and Smt. Kailashi for dowry. Nothing was said by these witnesses against Shri Ramkishan. The accused were afforded opportunity by the court to explain the circumstances appearing against them in prosecution evidence. Final order is passed by the court.

Write a judgment, briefly discussing as to for what offence the accused persons are charged and ultimately what order is passed, either of acquittal or of conviction, giving reasons therefor.

**प्रश्न संख्या 20**

सीता देवी का विवाह दिनांक 16.04.2006 को रमेश के साथ हुआ। इस विवाह से दो बच्चे, अर्पित एवं पंकज, क्रमशः वर्ष 2008 व 2012 में पैदा हुये। रमेश छोटी–छोटी बातों को लेकर सीता के साथ झगड़ा करता था। रमेश तथा उसकी मां कैलाशी देवी विवाह में दिये गये दहेज से सन्तुष्ट नहीं थे परन्तु सीता के ससुर रामकिशन द्वारा कई अवसरों पर उसका बचाव किया गया एवं अपनी पत्नी कैलाशी देवी व पुत्र रमेश को पर्याप्त दहेज न लाने के कारण उसे तंग व परेशान नहीं करने के लिए कहा। रमेश एवं कैलाशी देवी फिर भी उसके साथ क्रूरता तथा दुर्व्यवहार करते रहे। परिस्थितियों से व्यथित होकर सीता ने दिनांक 09.09.2015 को आत्महत्या कर ली। सीता के पिता दशरथ द्वारा उसके पति, सास एवं ससुर के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई गई।

सीता के पिता दशरथ द्वारा दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर अनुसंधान किया गया और श्रीमति कैलाशी, रामकिशन तथा रमेश के विरूद्ध चालान प्रस्तुत किया गया। सक्षम न्यायालय द्वारा अपराध का प्रसंज्ञान लिया गया और केस सैशन्स न्यायालय में कमिट किया गया। सैशन्स न्यायालय द्वारा सभी अभियुक्तगण के विरूद्ध आवश्यक आरोप विरचित किये गये। अभियुक्तगण द्वारा आरोप अस्वीकार किये गये और विचारण चाहा गया। विचारण के दौरान कृष्ण कुमार, ओम प्रकाश एवं श्रीमति राधा (अभियुक्तगण के पड़ोसी), दशरथ (मृतका का पिता), वसुन्धरा (मृतका की माता) और किरण कुमारी (मृतका की बहिन) को अभियोजन द्वारा परिक्षित किया गया। इन सभी साक्षियों ने रमेश और कैलाशी देवी द्वारा मृतका सीता देवी को दहेज हेतु यातना देने व परेशान करने का कथन किया। इन साक्षियों द्वारा रामकिशन के विरूद्ध कुछ नहीं कहा गया। न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण को अभियोजन साक्ष्य में उनके विरूद्ध उपस्थित परिस्थितियों का

स्पष्टीकरण देने का अवसर प्रदान किया गया। न्यायालय द्वारा अन्तिम आदेश पारित किया जाता है।

कारणों सहित निर्णय यह दर्शाते हुये लिखिए कि अभियुक्तगण के विरूद्ध किस अपराध का आरोप विरचित किया गया तथा अन्ततः क्या आदेश, उनकी दोषसिद्धि अथवा दोषमुक्ति, के बाबत पारित किया गया ।